फाइल नं0-71-3002(099)/10/2024-03

124/2024/I/799997/2024

प्रेषक,

चन्द्रशेखर मिश्र,

उप सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक 19 नवम्बर, 2024**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 में मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष कम्पनी अधिनियम-2013 की धारा-8 के अधीन स्थापित की जाने वाली संस्था ''प्रामोट फार्मा'' को निगमित (Incorporated) किये जाने हेतु टेन्टेटिव लीगल फीस का भुगतान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सुश्री सीमा अग्रवाल, कम्पनी सचिव, उ0प्र0 मेडिकल सप्लाई कार्पोरेशन लिमिटेड के पत्र दिनांक 23.10.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा कम्पनी अधिनियम-2013 की धारा-8 के अधीन स्थापित की जाने वाली संस्था ''प्रामोट फार्मा'' को निगमित (Incorporated) किये जाने हेतु टेन्टेटिव लीगल फीस का भुगतान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्व पक्ष के अधीन लेखाशीर्षक ''2210-05-105-06'' में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत उ0प्र0 इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट हेतु मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू0 2000.00 लाख के सापेक्ष कम्पनी अधिनियम-2013 की धारा-8 के अधीन स्थापित की जाने वाली संस्था ''प्रामोट फार्मा'' को निगमित (Incorporated) किये जाने हेतु टेन्टेटिव लीगल फीस का भुगतान किये जाने हेतु **रू0 8,56,810/- (रू0 आठ लाख छप्पन हजार आठ सौ दस मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण, आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किन्ही अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231 /2024, दिनांक 04.03.2024 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2024/बी-1-607/दस-2024-231 /2024, दिनांक 19.06.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना सम्भव नहीं होगा।
5. धनराशि को कोषागार से मेडिकल कालेज के वित्त नियंत्रक द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 8,56,810 (रुपये आठ लाख छप्पन हजार आठ सौ दस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 22100510506 उ0प्र0 इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट **मानक मद** 20-सहायता अनुदान सामान्य-(गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश **वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024** में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(चन्द्रशेखर मिश्र)
उप सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 मेडिकल सप्लाई कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चन्द्रशेखर मिश्र)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।